

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—1177 / 2013
संस्थित दिनांक—16 / 12 / 2013
फाईलिंग क.234503002212013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

/ / **विरुद्ध** / /

राजेश पिता सहारा उर्फ सहारुसिंह मरकाम, उम्र—45 वर्ष, जाति—गोंड,
साकिन—वार्ड नंबर—7, पौनी, थाना—मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

/ / **निर्णय** / /

(आज दिनांक—10 / 09 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—289 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—27 / 11 / 2013 को शाम 05:40 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पौनी में आपने आधिपत्य के पालतू कुत्ते के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करते हुए उसकी व्यवस्था करने में लोप कारित किया, जिससे सुकराम को कुत्ते ने कांट दिया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—27.11.2013 को फरियादी सुकराम तुरकर अपने घर से मवेशियों को लेने जा रहा था, तभी जाते समय ग्राम पौनी के राजेश गोंड का पालतू कुत्ता, जो लाल रंग का था, आरोपी के घर के आंगन से उठकर फरियादी राजेश के उपर झपट कर उसके दाहिने पैर की जांघ में पीछे तरफ काट दिया, जिसके दांत गड़ने से खून निकलने लगा था। उक्त घटना को मौके पर उपस्थित सुरपा गोंड ने देखा है। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना मलाजखण्ड में की गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.—170 / 2013 अन्तर्गत भा.द.वि. की धारा—289 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहत सुकराम की चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध

अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-289 के अन्तर्गत अपराध विवरण तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक-27/11/2013 को शाम 05:40 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पौनी में आपने आधिपत्य के पालतू कुत्ते के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करते हुए उसकी व्यवस्था करने में लोप कारित किया, जिससे सुकराम को कुत्ते ने काट दिया ?

: : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

5— सुकराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी राजेश मरकाम को जानता है। घटना पिछले साल शाम के 6:00 बजे की है। उक्त घटना दिनांक को वह अपने घर से गाय लाने गया था। जब वह गाय लेकर वापस आ रहा था, तो आरोपी राजेश मरकाम के घर के कुत्ते ने उसके पैर में काट दिया था, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगा था और धोती फट गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में किया था। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जिस कुत्ते ने उसे काटा था, उसका हुलिया पुलिस को बता दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जिस कुत्ते ने काटा था, वह आरोपी का नहीं था। इस प्रकार साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 और उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— डॉ. एल.एन.एस. उइके (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.12.2013 को शासकीय अस्पताल मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस आरक्षक क्रमांक-1259, पुलिस थाना

मलाजखण्ड के द्वारा आहत सुखराम पिता आत्माराम उम्र-75 वर्ष, जाति पंवार, निवासी पोंडी को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु पेश करने पर आहत के शरीर पर एक खरोंच पाई थी, जो अनियमित आकार की थी, जो दाएं जांघ में थी। उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी, जो साधारण प्रकृति की थी और उसके परीक्षण के 7 दिवस पूर्व की थी, जिसके ठीक होने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आहत को आई चोट दरवाजे पर गिरने से आ सकती है। साक्षी ने आहत सुखराम को घटना के समय दाईं जांघ में खरोंच आने की पुष्टि की है। उक्त चोट कुत्ते के काटने या खरोंचने से नहीं आने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार कुत्ते के काटने से आहत को आई चोट की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी से होती है।

8— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुलेखा मरकाम (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-03.12.13 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार के द्वारा सुखराम की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी राजेश के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-170/13, धारा-289 भा.द.वि. के तहत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर हैं, जिनसे वह साथ में कार्य करने के कारण परिचित है उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-04.12.13 को घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी सुखराम, साक्षी सुरपासिंह, झामसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-10.12.13 को आरोपी राजेश मरकाम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान कुत्ते की शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं करवाई गई थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आहत सुखराम और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं तथा आहत सुखराम ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आरोपी के कुत्ते की पहचान की है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है। ऐसी दशा में कुत्ते की शिनाख्ती की कार्यवाही का अधिक महत्व नहीं रह जाता है तथा उक्त के अभाव में अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में दर्ज प्राथमिकी और उसके द्वारा की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य के पालतू कुत्ते के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करते हुए उसकी व्यवस्था करने में लोप कारित किया, जिस कारण आरोपी के कुत्ते ने फरियादी सुकराम को काट दिया। अतएव आरोपी को भा.द.वि. की धारा-289 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

11— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

12— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-289 के अपराध के अंतर्गत 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-289 के अपराध के अंतर्गत एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

13— आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में आरोपी दिनांक-25.08.2014 से दिनांक-27.08.2014 तक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट